ISSN: 2249-894X Impact Factor : 3.1402(UIF) Volume - 5 | Issue - 12 | September - 2016

Review Of Research

मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में 'स्त्री'

डॉ. अशोक वसंतराव मर्डे
अध्यक्ष हिंदी विभाग , यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय तुलजापुर जि. उस्मानाबाद.

प्रस्तावना :

समाज में कई घटक है जिनका शोषण हो रहा है। समाज का हर वर्ग अधिकारों एवं शोषण से मुक्त रहे इसलिए मानव अधिकारों का समर्थन किया जाता है। गरीब, असहाय, महिला, दलित, बालक, वृध्द, निराधार आदि का हर जगह शोषण होता है और वे अपने अधिकारों से विमुख रह जाते है। सभी को समान अधिकार और समान न्याय मिले इसलिए मानव अधिकार से जुडी बातों पर गौर करना जरूरी है।

भारत या विश्व की महिलाओं के अधिकारों को देखे तो कमोबेश मात्रा में परिस्थिति चिंतीत सी दिखाई देती है। उसका जीवन त्रासदी का जीवंत लेखा–जोखा बन जाता है। स्त्री भ्रूण से लेकर स्त्री की वृध्दावस्था तक वह अपने अधिकारों को खो देती है। बाल्यकाल में अपने पिता पर, जवानी में अपने पति पर और वृध्दावस्था में बच्चों पर ही उसे निर्भर रहना पडता है। जब लडकी के रूप में पैदा होती है तब उसकी हत्या और अगर बच भी जाए तो पैदा होने के समय से ही उसके साथ दर्व्यवहार शुरू हो जाता है। वह अपने अधिकारों से वंचित रहने लगती है।

नारी पुरूष की शक्ति, ज्योति और सिध्दी का प्रतीक है। तथा नारी गृह क्षेत्र में पुरूष की अपेक्षा अधिक दायित्व का निर्वाह

करती है। इस कारण उसका नाम ग्रहिणी है। वह माता पत्नी पुत्री सभी रूपों में पुरूष के लिए सन्माननीय हे। अतः वह महिला कहलाती है। महिला शब्द मह–इल– आ से बना है। मह का अर्थ है श्रेष्ठ या पूज्य। पूज्य श्रेष्ठ जो है वही महिला है। पुरातन पुरूष मनु ने भी स्वीकार किया है। कि 'जहॉ नारियों की पूजा होती है वहॉ देवता रमण करते है।' आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद जी ने नारी की परिभाषा इस प्रकार की है।

नारी तुम केवल श्रध्दा हो, विश्वास रजत नग पगतल में।
पीयुष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।।

स्त्री ही घर गृहस्थी की पूर्ण देखभाल करती है। पुरूषों के सुख सुविधा का उनके खाने पीने का तथा उनके आरामका प्रबंध करती है। स्त्री के कारण ही पुरूष गृहस्थी में आकर्षित होते है, वहीं पुरूष को नवजीवन तथा नव चैतन्य प्रदान करती है।

स्त्री और पुरूष परिवार के दो आधार स्तंभ होते है। जिनके संयुक्त प्रयास से परिवार बनते और चलते है । परंतु परिवार की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व पुरूष की अपेक्षा स्त्री के कंधों पर अधिक होता है। जिससे निश्चिंत होकर पुरूष जीविकोपार्जन तथा संपत्ति बढाने में व्यस्त हो जाता है। एक सुसंस्कृत नारी ही अपने परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। और अपने परिवार को सुसंस्कृत बनाती है। आज सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार , रिश्वतखोरी, बेईमानी को केवल सुसंस्कृत नारी ही रोक सकती है। परिवार सुसंस्कृत होगा तथी समाज में व्याप्त इन बिमारियों का समुल उन्मुलन होगा।

आज के युग में नारी के लिए उसका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक हे। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से ही मनुष्य का आत्मिक विकास होता हे, अन्यथा जीवन पंगु हो जाता हे। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में आत्मविश्वास आ

जाता है और वह आत्मनिर्भर बन सकता है। एक अशिक्षित नारी ना ही खुद का विकास कर सकती है और ना ही परिवार के विकास में अपना योगदान दे सकती है। परंतु एक शिक्षित नारी स्वयं के विकास के साथ–साथ परिवार के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

शिक्षा के अभाव में महिलाओं का विकास नही होता, वह आनेवालजी हर परिस्थिति का सामना नही कर सकती और उसमें उन शक्तियों का विकास भी नहीं हो पाता जिससे वह स्वावलंबी बन सके। जानबुझकर महिलाओ की शिक्षा पर ध्यान नही दिया जाताउसके लिए जिम्मेदार है वह पीछडी हुई मानसिकता जिसके अनुसार महिलओं को घर के काम और बच्चों का पालनपोषण ही करना है। लेकिन शिक्षा के अभाव में महिलाएं परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य संबंधि जानकारियों को समझ नही पाती । गर्भावस्था एवं प्रसूति के समय अनेक बिमारियों की शिकार हो जाती है। ना ही अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाती है और ना ही स्वयं का ध्यान रख पाती।

आज कल महिलाओं में जागृति की अत्याधिक आवश्यकता है। और इसके लिए समाज में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है। फखरूददीन अली अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की संध्या पर महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि, 'भारत की महिलाओं ने मूक और स्वयं जिम्मेदारियों को कंधे पर ढोते हुए युगों से चली आ रही सभ्यता का कायम रखा है। राष्ट्रीय जीवन में उनकी भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि महिलायें नीति निर्धारण एवं योजना के स्तर पर पदों को ग्रहण करें और मात्र ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए ही प्रयत्नशील रहे, बल्कि पुरूषों को भी महिलाओं के प्रति परंपरागत विचारधारा को बदलना होगा'1

महिलाओं की योग्यता का लाभ न सिर्फ पूरे परिवार को होता है बल्कि समाज की संपन्नता ,समृध्दि एवं विकास के लिए भी होता है। ऐसी संपन्न महिलाएं पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा , राजनीति तथा राष्ट्र निर्माण में लगी है। अनेक प्रतिभाशाली महिलाओं ने न सिर्फ घर की चार दीवारी में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोडी हे। लेकिन आज हमें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का असर वर्तमान युगीन स्त्री पुरूषों पर पडता जा रहा है। जिससे स्त्री पुरूषों में दुस्साहस बढ रहा है। , वे निरंकुश होते जा रहे है, विवाह जैसे अटूट बंधनों में दरारें आने लगी है। पति पत्नी संबंध टूट रहे है। एक दूसरे के प्रति लापरवाही, उपेक्षा एवं विवाह बाहय संबंध बनाने में जुटे हुए है। अतः इन संबंधों को रोकने की शक्ति प्रायः नारी में ही है।

नारी के विकास के लिए कुछ समाज सुधारक जैसे राजाराममोहन राय एवं महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हे। उन्होनें नारी पर होनेवाले अत्याचारों को रोका, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढाना शुरू किया। परंपरागत रूढी परंपराओं से मुक्त कराने की पूरी कोशिश की। स्वयंशासी संगठन एवं शासकीय संगठनों ने नारी की स्थिति को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने नारी समाज में चेतना का प्रसार किया। ग्रामीण आदिवासी नारियों को संगठित किया उन्हें जागरूक बनाया। सरकारी स्तर पर भी नारी के विकास के लिए भरपूर प्रयास किए गए। जिसमें नारी की सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। इनमें नारी को महत्वपूर्ण इकाई मानकर विभिन्न कामधंदे सिखाने तथा उसे आत्मनिर्भर बनाने पर अधिक ध्यान दिया गया जिससे नारी को घर में बैठकर ही काम करने की सुविधा प्राप्त हो सके लेकिन 5 जनवरी 1987 को सरकार के सर्वेक्षण से पता चला कि इतनी सुविधायें होने के बावजूद भी महिलाओं का विकास जितना हो रहा है अपेक्षाकृत कम ही हो रहा है। इसलिए कुछ निजी संस्थायें नारी विकास के लिए आगे आयी। जिसमें इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान रखा गया और नारी कल्याण के लिए 33 संगठनों का गठन किया गया। इन संगठनों ने सबसे पहले यह सिफारिश की कि दहेज को एक संगीन अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि दहेज के नाम पर ही नारी का सर्वाधिक शोषण हो रहा है। इसके निवारण के लिए राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया गया।

ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की प्रगति के लिए उनकी समस्योओं के लिए महिला प्राधिकरण की स्थापना की गई, इसमें महिला अधिकारों को बताने के लिए 'जाजम' व्यवस्था की गई। इसमें महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों को समाप्त करके कई उपाय एवं महिलाओं के अधिकार बताये गए। कुछ व्यक्तिगत संस्थाएं भी नारी के उत्थान के लिए आगे आयी, जिसमें प्रौढ शिक्षा जैसी व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओंको पढाने का काम किया गया। ताकि महिला शिक्षित होकर अपने शोषण अन्याय अत्याचार ो बचें एवं अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ नारी निकेतन जैसी कई संस्थाएं भारत में खोली गई जहां अनाथ बेसहारा युवतियों को आश्रय देकर उन्हें शिक्षित कर उनका विवाह कर उनका जीवन व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है।

पुरूषों की अपेक्षा नारी अधिकतर अपने अधिकारों से विमुख ही होती है। कहने में तो आधी आबादी होती है। लेकिन अधिकारों की बात की जाए तो वह ना के बराबर हो जाती है। दलितों की बात की जाए तो दलितों में पढने लिखनेवालों की संख्या अपेक्षाकृत कम और उनमें भी स्त्री का पढना, उसका साक्षर होना यह मामूली बात नही है। दिन

भर जो मिलेगा वह काम और रात में पति की गालियों के बीच पीसती स्त्री आज भी देखने को मिलती है। समाज में दलित स्त्री को सबसे निचली जगह पर देखा जाता है। संतों महात्माओं ने भी स्त्री को हीन माना है। स्त्री के शोषण की गाथा रामायण महाभारत में देखी जाती है। द्रोपदी की व्यथा सब जानते है, सीता के अग्निदिव्य की कथा भी प्रचलित है।

महिला आंदोलन जोर शोर से चलाया जाता है लेकिन दलित स्त्री आज भी दलित ही रही है। उसके सपने, आशाएं सब के सब धूमिल हो जाते है। गांव में किसी सेठ साहुकार या जमींदार के घर झाडू मारना, सफाई करना उनसे भला बुरा सुनना, जातिगत गाली सुनना से सब दलित स्त्री के ही नसीब में है। इस स्त्री की आशा आकांक्षाएं भी सामान्य स्त्री के समान ही रहती है। उसे भी अपने अधिकार चाहिए। उसे भी अन्य स्त्रीयों के समान मान सम्मान चाहिए। वह भी मानव के रूप में जीना चाहती है। धर्म और समाज से वह सदैव अपनी रक्षा एवं अधिकार की गुहार लगाती रही है।

किसी दलित पर अत्याचार करना है तो सबसे पहले उस दलित स्त्री की ही बलि चढ जाती है। जातीय अंहकार का भक्ष्य दलित स्त्री ही बन जाती है। सवर्ण की स्त्री और दलित की स्त्री में काफी अंतर देखा जाता है। सवर्ण स्त्री जितना आगे जा रही है उतनी ही दलित स्त्री पीढे धकेली जा रही है। सवर्ण स्त्री के पक्ष में गांव की जमींदारी, आर्थिक सक्षमता, राजरीति आदि कई कारण रहते है इसलिए वह सुरक्षित है लेकिन दलित स्त्री का क्या कहना उनका पुरूष ही असहाय एवं वंचित होता है वहां दलित स्त्री सुरक्षित कैसे रह सकती है।

भारतीय संविधान से प्राप्त इन अधिकारों समेत बालविवाह महिलाओं से सम्बन्धित कुरीतियां , संयुक्त परिवार में महिलाओं पर होनवाले अत्याचार, दहेज की समस्यायें, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, नारी के प्रति यौन एवं अन्य प्रकार के उत्पीडन, नारी विवाह एवं तलाक तथा स्त्री भ्रूणहत्या से सम्बन्धित भी कारणों एवं कायदों को जान लेना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

1.7 *निष्कर्ष*

हर मनुष्य के अपने अधिकार है। जिस तरह वह पृथ्वी पर पैदा होता है उसी प्रकार उसे संपत्ति प्राप्त करने का, संपत्ती का भोग करने का और आनंद के साथ जीने का अधिकार है। उसमे किसी के अत्याचारों का मुकाबला करना और कानून द्वारा उसकी रक्षा करना आदि शामिल है। हर मनुष्य समान है और उसे समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। वह काला हो या गोरा, गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरूष, बालक हो या वृध्द सभी को अपने अधिकारों के अनुसार जीने का हक है। किसी दूसरें द्वारा उनपर अत्याचार करना उनके अधिकारों का हनन होगा।

संदर्भ संकेत :

1.शर्मा मंजु, नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, पृ 33